श्यामसुंदर बनाम डूंगरमल प्र.स. 108/18

दिनांक	आज्ञा पत्र	
14.7.25	पत्रावली पेश। अपीलार्थी/प्रत्यर्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22.7.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
22.7.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 108 / 2018

1 श्यामसुन्दर पुत्र श्री केशरदेव आयु 44 साल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 डूंगरमल
2 खेताराम
3 सुखेदव पुत्रगण केशरदेव
4 भाना देवी पुत्री केशरदेव
5 विमला पुत्री केशरदेव
6 कुनणमल पुत्र श्री हीराराम मृत
6/1 हुकमीचन्द
6/2 जगदीश पुत्रगण कुनणमल
6/3 दाखा
6/4 सुण्डा
6/5 चूंका
6/6 मंजू
6/7 लिछमी
6/8 डोली पुत्रियां कुनणमल
समस्त जाति माली निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 फूलबानो पत्नी मुमताज
8 मो. अयूब
9 मो. इस्माईल
10 जावेद
11 मो. बासीद
12 अब्दुल सलाम पुत्रगण मुमताज
13 गुलकेश बानो
14 जरीना बानो मृत

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 रूकसाना बानो पुत्रियां मुमताज
16 फिरोज बानो
17 सुमईयाबानो पुत्रियां मुमताज
18 जमालूदीन
19 सलीम पुत्रगण मोहम्मद
20 शरीफ
21 मुबारक
22 उमर
23 बाबू
24 अयूब पुत्रगण गफूर
25 याकूब पुत्र मकबूल
समस्त जाति कसाई निवासीगण लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
26 उप पंजीयक लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
27 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि.
विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.12.2017 न्यायालय सहायक
कलेक्टर (फा.ट्रे.) दांतारामगढ़ सीकर संख्या 108/2014
उनवानी श्यामसुन्दर बनाम डूंगरमल वगै. (प्रार्थी का आवेदन
अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया है।)

अपील संख्या 125/2018

1 श्यामसुन्दर पुत्र श्री केशरदेव आयु 44 साल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 डूंगरमल
2 खेताराम
3 सुखेदव पुत्रगण केशरदेव
4 भाना देवी पुत्री केशरदेव
5 विमला पुत्री केशरदेव
6 कुनणमल पुत्र श्री हीराराम मृत
6/1 हुकमीचन्द
6/2 जगदीश पुत्रगण कुनणमल
6/3 दाखा
6/4 सुण्डा
6/5 चूंका
6/6 मंजू
6/7 लिछमी
6/8 डोली पुत्रियां कुनणमल
समस्त जाति माली निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 फूलबानो पत्नी मुमताज
8 मो. अयूब
9 मो. इस्माईल
10 जावेद
11 मो. बासीद
12 अब्दुल सलाम पुत्रगण मुमताज
13 गुलकेश बानो
14 जरीना बानो मृत
15 रूकसाना बानो पुत्रियां मुमताज
16 फिरोज बानो
17 सुमईयाबानो पुत्रियां मुमताज
18 जमालूदीन
19 सलीम पुत्रगण मोहम्मद
20 शरीफ
21 मुबारक

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

22 उमर
23 बाबू
24 अयूब पुत्रगण गफूर
25 याकूब पुत्र मकबूल
समस्त जाति कसाई निवासीगण लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
26 उप पंजीयक लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
27 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 14.12.2017 न्यायालय
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) दांतारामगढ़ सीकर संख्या 123/14
उनवानी श्यामसुन्दर बनाम डूंगरमल वगै. (वादी का वाद अदम
पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया है।)

उपस्थिति :

1. श्री बनवारी लाल बरवड , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नानूराम बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री जयपाल औलखा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—22/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 108/2024 व 123/2014 में पारित निर्णय दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

14.12.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा ग्राम लोसल की भूमि खसरा नम्बर 455, 456/1, 457, 461, 462, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 498, 499 के संदर्भ में घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय दिनांक 14.12.2017 से मूलवाद एवं धारा 212 के प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दावा अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षार्थ प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 का भी कब्जा व काश्त है विवादित भूमियां में अपीलान्ट का 1212 हक व हिस्सा है तथा उस पर वह काबिज काश्त चला आ रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलान्ट का दावा अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण हुआ है, वकील की गलती के लिए पक्षकार को दंडित किया जाना न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलान्ट के हक, अधिकारों का निस्तारण नहीं हुआ है। अपीलान्ट के हक, अधिकारों का निस्तारण नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करने के पश्चात तारीख पेशियों पर अपीलान्ट उपस्थित आता रहा। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को यह आवश्वासन दे रखा कि रेवेन्यू मामला है, आपकी हर तारीख पेशी पर उपस्थित आने की आवश्यकता नहीं है, इस कारण विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 14.12.2017 को उपस्थित नहीं हुआ तथा ना ही अपीलान्ट के अधिवक्ता दूसरे न्यायालय में व्यस्त होने के कारण विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, फलस्वरूप अपीलान्ट का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा दावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खारिज होने की सूचना जरिये डाक भेजी गई परंतु वह सूचना प्रार्थी को नहीं मिली। अपीलान्ट दिनांक 29.10.2018 को वकील साहब से मिला तो वकील साहब ने बताया कि आपका वाद दिनांक 14.12.2017 को खारिज हो गया है, इसकी सूचना मैंने आपको भेजी थी, जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर आदेश की नकल दिनांक 01.11.2018 को प्राप्त करने के पश्चात अपीलान्ट बिमार हो गया तथा दिनांक 19.11.2018 को दूसरे वकील साहब से राय मशविरा कर अपील आज विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा पारित निर्णय की नाराजगी में यथाशीघ्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी में हूआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। विलम्ब क्षमा करवाने हेतु अलग से भी एक आवेदन अंतर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद में अपनायी जाने वाली समस्त प्रक्रियात्मक विधि की कोई पालना नहीं की गई तथा साक्ष्य सबूत लिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का वाद एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12. 2017 को कोई उपस्थित नहीं होने पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था, जिसकी कोई डिक्री नहीं बनी अदम हाजरी में वाद आदेश 09 नियम 8 सीपीसी के तहत जब वादी उपसंजात नहीं हो तब वाद व्यतिकम में खारिज किया जाता है वहां खारिजी को अपास्त करवाने के लिए आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के तहत उसी न्यायालय में चाराजोही करनी होती इस प्रकार से अपीलान्ट ने सीधे बिना किसी प्रावधान के धारा 223 आरटीएक्ट में अपील प्रस्तुत की है धारा 223 में मात्र डिक्री के विरूद्ध ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है जबकि वाद व्यतिकम में खारिजी को डिक्री बनने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अपील आदेश 09 नियम 8 सीपीसी के आदेश के विरूद्ध पोषणीय नहीं है। अतः दोनों अपीले विधिक बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का वाद एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2017 को कोई उपस्थित नहीं होने पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था, जिसकी कोई डिक्री नहीं बनी अदम हाजरी में वाद आदेश 09 नियम 8 सीपीसी के तहत जब वादी उपसंजात नहीं हो तब वाद व्यतिक्रम में खारिज किया जाता है वहां खारिजी को अपास्त करवाने के लिए आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के तहत उसी न्यायालय में चाराजोही करनी होती इस प्रकार से अपीलान्ट ने सीधे बिना किसी प्रावधान के धारा 223 आरटीएक्ट में अपील प्रस्तुत की है धारा 223 में मात्र डिक्री के विरूद्ध ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है जबकि वाद व्यतिक्रम में खारिजी को डिक्री बनने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अपील आदेश 09 नियम 8 सीपीसी के आदेश के विरूद्ध पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट विधिक बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। न्यायहित में अपीलान्ट को विचारण न्यायालय में आदेश 09 नियम 09 के तहत चाराजोही करने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार म)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर